2010 का विधेयक संख्यांक 25

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 9) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः––

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2010 है ।

(2) यह 13 अक्तूबर, 2010 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 4 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 4 में,––

2010 का 9.

(क) उपधारा (1) में द्वितीय परन्तुक का लोप किया जाएगा; और

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:––

''(2) कर, मोटरयान के क्रय मूल्य पर, अधिनियम की अनुसूची–2 में यथाविनिर्दिष्ट दर पर उद्गृहीत किया जाएगाः

परन्तु जहां मोटरयान का क्रय मूल्य, मूल बीजक की अनुपलब्धता के कारण या उसे प्रस्तुत न किए जाने के कारण अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता

है या जब प्रस्तुत किया गया बीजक मिथ्या साबित हो जाता है या यदि मोटरयान को क्रय से अन्यथा अवाप्त या अभिप्राप्त किया गया है, तब उसका क्रय मूल्य, वह मूल्य या कीमत होगी जिस पर मोटरयान को उसकी किस्म या गुणवत्ता के आधार पर विक्रीत किया गया है या जिस पर वह खुले बाजार में विक्रय के योग्य है।"।

धारा 5 का लोप।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 का लोप किया जाएगा ।

2010 के अध्यादेश संख्यांक 8 का निरसन और व्यावृत्तियां ।

4. (1) हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2010 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य के बाहर से निजी / वाणिज्यिक उपयोग के लिए व्यक्तियों द्वारा बड़ी संख्या में मोटर यान लाए जा रहे हैं, जिससे राज्य को, ऐसे यानों को राज्य के भीतर क्रय न करने पर, इससे प्राप्त होने वाले समुचित राजस्व से वंचित होना पड़ रहा है । विशेषतया, कम्पनी की कोटा नीति के परिणामस्वरूप, ऐसे यानों की अनुपलब्धता के कारण बड़ी संख्या में माल यान राज्य के बाहर से लाए जा रहे हैं । राज्य में मोटरयानों, विशेषतया माल यानों की मांग उपलब्धता से सदैव ही अधिक रही है और विभिन्न कम्पनियों की वर्तमान कोटा नीति, लोगों को ऐसे यानों को हिमाचल प्रदेश के बाहर से क्रय करने के लिए बाध्य कर रही है, जिससे राज्य को राजस्व की बहुत हानि हो रही है । मोटरयानों पर प्रवेश कर अधिरोपित करने से वर्तमानतः हिमाचल प्रदेश के बाहर से किया जा रहा यानों का क्रय राज्य के भीतर से ही होना प्रत्याशित है, जिससे राज्य में मूल्य परिवर्धित कर के संग्रहण में वृद्धि होगी और क्रेता को राज्य के भीतर नजदीकी आउटलैट से क्रय करना भी सुकर होगा । इसके अतिरिक्त इस राजस्व ह्रास को रोकने के आशय से ''मोटरयानों'' को हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की अनुसूची–2 में सम्मिलित किया गया है । राजस्थान जैसे राज्य ने 1988 में ही यानों पर प्रवेश कर अधिरोपित कर दिया था, जो सुचारू रूप से चल रहा है ।

2. इस प्रकार संगृहीत राजस्व को, राज्य में पुरानी और विद्यमान सड़कों, पुलों और अन्य अवसंरचनाओं की मरम्मत और अनुरक्षण सहित, नई सड़कों को बनाने, लोक प्रसुविधाओं तथा अन्य अवसंरचनाओं के लिए व्यय किया जाएगा । क्योंकि राज्य स्थितिकीय प्रतिकूल परिस्थितियों से घिरा हुआ है और राज्य के दूर–दराज के क्षेत्रों में पहुँचने के लिए तथा लोगों, सामग्री और फसलों के गमना–गमन को सुकर बनाने हेतु प्रवेश शुल्क अधिरोपित कर के, अतिरिक्त राजस्व जुटाकर बेहतर सड़क अवसंरचना तथा लोक प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाना अनिवार्य है ।

3. क्योंकि विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 में संशोधन किया जाना अनिवार्य हो गया था । अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2010 को 12 अक्तूबर, 2010 को प्रख्यापित किया गया था, जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 13 अक्तूबर, 2010 को प्रकाशित किया गया था । अब उक्त अध्यादेश को नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है ।

4. यह विधेयक उक्त अध्यादेश को बिना उपान्तरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री ।

धर्मशालाः
तारीखः 2010

वित्तीय ज्ञापन

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की अनुसूची–2 के अन्तर्गत मोटरयानों को सम्मिलित किया जाना राजस्व ह्रास रोकने में सहायक होगा, क्योंकि निजी / वाणिज्यिक उपयोग हेतु यानों को विशेषतया माल यानों को बड़ी संख्या में राज्य के बाहर से क्रय किया जा रहा है, जिससे राज्य को राजस्व की बहुत हानि हो रही है । विधेयक के खण्ड 2 के अधिनियमित होने पर राजकोष को प्रतिवर्ष लगभग तीन करोड़ रूपए की प्राप्ति होगी और राज्य के भीतर व्यापार के आ जाने से मूल्य परिवर्धित कर संग्रहण में काफी वृद्धि होगी । क्योंकि विधेयक के उपबंध, अधिनियमित किए जाने के पश्चात् विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाने हैं और इसलिए राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

————————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

———शून्य———

————————

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

नस्ति संख्याःई.एक्स.एन.–एफ(10)–2 / 2010

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010 की विषय–वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 25 of 2010.

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREA (AMENDMENT) BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 (Act No. 9 of 2010).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 13th day of October, 2010.

Amendment of section 4.

2. In section 4 of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 (hereinafter referred to as the "principal Act")— 9 of 2010.

(a) in sub-section (1), the second proviso shall be omitted; and

(b) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(2) The tax shall be levied on purchase value of a motor vehicle at the rate as specified in Schedule-II of the Act:

Provided that where the purchase value of a motor vehicle is not ascertainable on account of non-availability or non-production of the original invoice or when the invoice produced is proved to be false or if the motor vehicle is acquired or obtained otherwise then by way of purchase, then the

purchase value shall be the value or price at which motor vehicle of the kind or quality is sold or is capable of being sold in open market.".

Omission of section 5

3. 3. Section 5 of the principal Act shall be omitted.

Repeal of Ordinance No. 8 of 2010 and savings.

4. (1) The Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area (Amendment) Ordinance, 2010 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Large number of Motor Vehicles are being brought from outside the State by individual for personal/ commercial use, thus depriving the State of its legitimate revenue on the purchase of such vehicles within the State. Especially, large number of goods vehicles are being brought from outside the State due to non-availability of such vehicles because of company's quota policy. The demand in the State has always exceeded the availability of motor vehicles, especially Goods vehicles and the existing quota policy of various companies are forcing people to purchase such vehicles outside of Himachal Pradesh thereby leading to huge revenue loss to the State. With the imposition of Entry Tax on motor vehicles, the purchases currently being made from outside the State are expected to shift inside the State which will increase VAT collection in the State and will facilitate the purchaser to purchase motor vehicles from the nearest outlet within the State. Further, in order to plug this revenue leakage the "motor vehicles" have been included in Schedule-II of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010. The State like Rajasthan has imposed Entry Tax on vehicles way back in 1988, which is working smoothly.

2. The revenue so collected will get re-deployed for building new roads, public facilities and other infrastructure including repair and maintenance of old and existing roads, bridges and other infrastructure in the State. Since, State suffers from locational disadvantages and to reach out the far-flung areas of the State and to facilitate smooth movement of men, material and crops, it is essential to provide better road infrastructure and public facilities by mobilizing additional revenue through imposition of Entry Tax.

3. Since the Legislative Assembly was not in session and amendment in the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 had to be made urgently. Therefore, the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area (Amendment) Ordinance, 2010 (H.P. Ordinance No. 8 of 2010) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by the Governor of Himachal Pradesh on 12th October 2010, which was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 13th October 2010. Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment.

4. This Bill seeks to replace the said Ordinance without modification.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

Dharamshala:
Dated_____ 2010.

FINANCIAL MEMORANDUM

The inclusion of motor vehicle under Schedule-II of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 will help to plug revenue leakage, as large number of vehicles especially Goods vehicles are being purchased from outside the State for personal/commercial use thereby leading to huge revenue loss to the State. Clause 2 of the Bill, if enacted, will yield approximately Rs. 3.00 crore per annum to the State exchequer and with the shifting of trade inside the State, the VAT collection will get sizable boost. As the provisions of the Bill after being enacted are to be enforced through the existing Government machinery, and there will be no additional expenditure from the State exchequer.